न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

मूल वाद सं० 07/2023

UPRN180000982023

रामजानकी बनाम ममता आदि

दिनांक – 19/09/2024

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुलह समझौता हेतु अन्तर्गत धारा 89 सी०पी०सी० के लिए कहा गया परन्तु उनके द्वारा सुलह समझौता से मना किया गया और तनकीह बनाने पर बल दिया गया। उभय पक्ष को वाद बिन्दु विरचन पर सुना गया। उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखत वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु

1. क्या वादिनी गाटा सं० 575 संशोधित गाटा सं० 797 रकबा 0.4790 हे० ग्राम तेजपुर घाटमपुर कानपुर नगर की सहस्वामी संक्रमणीय भूमिधर काबिज व दखील हैं ?
2. क्या प्रतिवादी सं० 2 रामकली द्वारा दिनांक 13/09/2021 को उपरोक्त वर्णित गाटा के रकबा 0.0305 हे० का बयनामा बहक प्रतिवादी सं० 1 श्रीमती ममता वैध व प्रभावी है। यदि हाँ तो प्रभाव ?
3. क्या प्रश्नगत बयनामा दिनांक 13/09/2021 के आधार पर वादग्रस्त आवासीय भूखण्ड पर प्रतिवादी सं० 1 काबिज व दखील हैं ?
4. क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है ?
5. क्या प्रदत्त न्याय शुल्क कम है ?
6. क्या वादिनी को कोई वाद का कारण उत्पन्न हुआ ?
7. क्या इस न्यायालय को वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है ?
8. क्या वादिनी किसी अन्य अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?

उपरोक्त वाद बिन्दु के अतिरिक्त अन्य वाद बिन्दु नहीं बनता है न ही पक्षकारों द्वारा इस स्तर पर बल दिया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई/ निस्तारण वाद बिन्दु सं० 4 व 5 हेतु दिनांक 21/11/2024 को पेश हो।

(इन्दिरा दानू)
सिविल जज(जू०डि०),
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3349

Digitally signed by INDIRA DANU
Date: 2024.09.19 15:48:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court